

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 192 / 2021

दिनांक : 08.12.2021

डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बाड़मेर को दिनांक 09.12.2021 से 24.12.2021 तक 16 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 25.12.2021 से 02.01.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री नरेन्द्र कुमार (RJ0515), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बाड़मेर को डॉ. मनोज जोशी के उक्त अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बाड़मेर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:—

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री नरेन्द्र कुमार (RJ0515), जिनको अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बाड़मेर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से,
08.12.2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/10/2008/ 7745

दिनांक : 08.12.2021

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा को उनके पत्रांक 12725 दिनांक 06.12.2021 के सन्दर्भ में।
3. डॉ. मनोज जोशी (RJ0551), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बाड़मेर।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, बाड़मेर।
5. श्री नरेन्द्र कुमार (RJ0515), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बाड़मेर।
6. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, बाड़मेर।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ. न्या., जोधपुर।

सहायक रजिस्ट्रार